जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–07.10.2014 को 06:00 बजे अपराह्न विधि–व्यवस्था संबंधी बैठक की कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि–व्यवस्था संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी दिपावली, छठ पर्व एवं मुहर्रम के अवसर पर विधि–व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने तथा ऐहतियाती और निरोधात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से अनुमण्डल पदाधिकारियों/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा उन्हें निम्न निदेश दिये गये :–

1.0 <u>विधि–व्यवस्था</u>

1.1 दिपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर सतर्क रहें।

1.2 अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से छठ घाटों का भ्रमण कर प्रारम्भिक तैयारी पूर्ण कर लें।

1.3 छठ घाटों पर पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करें।

1.4 वैसे छठ घाटें, जहाँ अप्रत्याशित भीड़ रहती है एवं गहरे पानी का स्त्रोत हो, पर गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

1.5 अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत नियंत्रण कक्ष की स्थापना करें।

1.6 छठ घाटों पर रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जाय तथा माईक सिस्टम उपलब्ध रहे।

1.7 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से सतर्क रहें तथा असमाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें।

1.8 अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जाय, जिसमें प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ–साथ मुखिया, जनप्रतिनिधियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

1.9 प्रत्येक थाना स्तर पर पुलिस एवं जनता की बैठक आयोजित की जाय तथा इस बैठक की कार्यवाही जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निश्चित रूप से भेजें।

1.10 जिला पदाधिकारी के गोपनीय शाखा में प्रत्येक थानावार अलग–अलग फोल्डर का संधारण किया जाएगा, जिसमें पुलिस एवं जनता की बैठक की कार्यवाही संधारित कर जिला पदाधिकारी के समक्ष समीक्षा हेतु उपस्थापित किया जाएगा।

1.11 ज्यादा भीड़ वाले छठ घाटों पर वाच टावर की व्यवस्था की जाय।

1.12 वाच टावर के लिए प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा द्वारा गृह विभाग में अधियाचना भेजने की कार्रवाई की जाय।

1.13 दिपावली के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत पटाखा निर्माण का कोई कारखाना नहीं हो।

1.14 पटाखा भंडारण एवं बिक्री हेतु जिला प्रशासन से लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे स्थलों की पहचान कर लें एवं यदि बिना लाईसेन्स के किसी व्यक्ति द्वारा पटाखा का भंडारण एवं बिक्री किया जाता है, तो उनके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई करें।

1.15 पटाखा के भंडारण एवं बिक्री हेतु अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत विस्तृत प्रचार–प्रसार कर लाईसेन्स हेतु जिला सामान्य शाखा में आवेदन करने हेतु बिक्रेताओं को प्रोत्साहित करें।

1.16 पैक्स चुनाव के अवसर पर विधि–व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

1.17 जहाँ थाना भवन उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 10 दिनों के अन्दर संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर भूमि का चयन करते हुए प्रस्ताव अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

1.18 जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ जमीन क्रय करने का भी प्रस्ताव दिया जाय।

1.19 विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा को विधि–व्यवस्था से संबंधित विहित प्रपत्र सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/जिला गोपनीय शाखा)

2.0 साम्प्रदायिक

2.1 साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों पर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए सतर्कता मूलक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

2.2 मुहर्रम पर्व के अवसर पर चौनाही ग्राम में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु ऐहतियाती एवं निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

2.3 अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी सदभावना पथ की मरम्मति हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सुगौली से पत्राचार करें।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी)

3.0 न्यायालय कार्य

3.1 सभी अनुमण्डल पदाधिकारी नियमित सुनवाई कर द.प्र.सं. की धारा–107 एवं 144 में आदेश पारित करें।

3.2 सभी थानाध्यक्ष असामाजिक तत्वों की सूची तैयार कर द.प्र.सं. धारा–107 की कार्रवाई कर बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई करें।

3.3 पुलिस अधीक्षक से अनुरोध है कि वे द.प्र.सं. की धारा–12 एवं 3 का प्रस्ताव शीघ्र भेजें।

3.4 कैम्प कोर्ट का आयोजन किया जाय तथा द.प्र.सं. की धारा–110 के अन्तर्गत आदेश पारित करें।

(अनुपालन– पुलिस अधीक्षक/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष)

4.0 जनता दरबार का आयोजन

4.1 प्रखंड एवं थाना स्तर पर संयुक्त रूप से जनता दरबार आयोजित की जाय, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष)

5.0 खाद की तस्करी

5.1 भारत–नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में खाद तस्करी की रोकथाम हेतु दिनांक–08.10.2014 से अभियान चला कर औचक छापेमारी कर अवैध खाद भंडार पाये जाने पर उसे सील करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

इस कार्य के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को प्रशासनिक एवं पुलिस सहयोग प्रदान करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

5.2 निर्धारित दर से अधिक दर पर खाद की बिक्री के मामले प्रकाश में आने पर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी दोषी खाद विक्रेताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा–120बी के तहत् केस दायर करेंगे।

(अनुपालन— सभी अनुमंडल पदा0/सभी अनुमंडल पुलिस पदा0/जिला कृषि पदा0/सभी थानाध्यक्ष)

6.0 पशु तस्करी

6.1 अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पशु तस्करी पर पूर्ण रूप से रोक लगाएँ।

6.2 काजी हाउस की सूची तैयार कर लें और यदि तस्करी के पशु पकड़े जाते हैं तो उसे काजी हाउस में रखने की व्यवस्था करें।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष)

7.0 अवैध शराब व्यापार की रोकथाम

7.1 छतौनी एवं मीना बाजार में अवैध शराब बिकी की शिकायत मिल रही है। उत्पाद अधीक्षक अविलम्ब औचक छापेमारी कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन–उत्पाद अधीक्षक)

8.0 विविध

8.1 छतौनी राष्ट्रीय उच्च पथ पर नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा विभागीय वसूली की शिकायत प्राप्त हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी इसकी जाँच कर दोषी व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–1921/गो0, मोतिहारी, दिनांक–20 वीं अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला प्रबंधक, आई0टी0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं *वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु* प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/ जिला कृषि पदाधिकारी/उत्पाद अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि श्री राघवेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., सहायक समाहर्त्ता–सह–सहायक दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

18/X

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–1921/गो0, मोतिहारी, दिनांक–20 वीं अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/X

जिला पदाधिकारी,